I

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR**

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–पं0नि0 30–16/2015 1568

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक– 23.3.24

विषयः– प्रखंड बोखड़ा के उप प्रमुख एवं प्रखंड बैरगनियाँ प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।
प्रसंगः– आपका पत्रांक 638 दिनांक 19.02.204 एवं पत्रांक 804 दिनांक 06.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आयोग को **प्रखंड बोखड़ा के उप प्रमुख एवं प्रखंड बैरगनियाँ प्रमुख** के पद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप उक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के अधीन प्रखंड **निम्न कार्यक्रम के अनुसार प्रमुख एवं उप प्रमुख का निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है :–**

प्रखंड का नाम	रिक्त पद का नाम	निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि
बोखड़ा	उप प्रमुख	13.04.2024
बैरगनियाँ	प्रमुख	13.04.2024

3. कृपया प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु दिनांक **05.04.2024** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **03.04.2024** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी को भी दी जा रही है।

5. प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 एवं गजट संख्या 638 तथा 639 दिनांक 31.08.2010 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
23/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं0नि0 30–16/2015– 1568 पटना, दिनांक – 23.3.24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

23.3.24

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

TL

पत्र संख्या–प0नि0 30–16/2015 1567

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक– 23.3.24

विषय :– अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु प्रेषित प्रस्ताव में वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 664 दिनांक 22.02.2024 एवं पत्रांक 754 दिनांक 015.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिनके समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन में निम्न कागजात उपलब्ध नहीं है, जिनके आभाव में रिक्त पद पर निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने में कठिनाई हो रही है :–

1. **प्रखंड रीगा उप प्रमुख** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित बैठक संबंधी सूचना का पत्र 23 सदस्यों में से 18 का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है, शेष का नहीं ।
2. **प्रखंड परसौनी के प्रमुख एवं उप प्रमुख** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र एवं तत्संबंधी साक्ष्य संलग्न नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त वांछित कागजात पत्र प्राप्ति से दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय। ताकि संदर्भित रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु तिथि निर्धारित की जा सके।

विश्वासभाजन,
23/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

23.3.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com